न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 56/2015 G.C.M.S. No. 2015/00056 दर्ज दिनांक : 13.08.2015

अपीलार्थी:

1. खेत सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति राजपुत निवासी सिवणा, तहसील व जिला जालोर
2. भीम कंवर पुत्री मंगल सिंह पत्नी मोती सिंह जाति राजपूत हाल निवासी लोटीवाडा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही
3. सागर कंवर पुत्री मंगल सिंह पत्नी उत्तम सिंह जाति राजपूत निवासी बावली, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. कैलाश कंवर पुत्री प्रताप सिंह पत्नी जालम सिंह जाति राजपूत निवासी डोरडा तहसील भीनमाल जिला जालोर
2. भीक सिंह पुत्र भव सिंह जाति राजपूत निवासी सिवणा तहसील व जिला जालोर
3. श्याम सुन्दर पुत्र पुखराज जाति शर्मा, निवासी निम्बला, तहसील आहोर जिला जालोर
4. मैनेजर, मारवाड़ ग्रामीण बैंक, शाखा वराडा तहसील सिरोही
5. मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक शाखा जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालो जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2012 बअनवान खेत सिंह बनाम कैलाश कंवर में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015

पैरोकार:–

1. श्री नरपत सिंह देवड़ा, गोपेश कुमार विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नेन सिंह राजपुरोहित, गोविन्द कुमार, सुरेन्द्र कुमार दवे, कार्तिक दवे विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांक: 06.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2012 बअनवान खेत सिंह बनाम कैलाश कंवर में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलांट वादीगण द्वारा एक दावा बाबत् घोषणा हक खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मातहत न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के दावे के मजबुत आधार को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 02.02.2012 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अपीलांट के हक में जारी की थी। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 28.07.2015 तक प्रभावी रहा। दिनांक 28.07.2015 को फोलो अप कैम्प लोक अदालत में अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में मात्र यह लिखकर की प्रार्थीगण ने पुश्तेनी आराजी के संबंध में कोई साक्ष्य ठोस आधारो पर आधारित नहीं होने से प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं, जबकि बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 तक में उक्त विवादित आराजी भोप सिंह, भंवर सिंह पिसरान जवान सिह के नाम खातेदारी दर्ज है। जिसके उक्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी ठोस आधार के अपीलांअ का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया तथा मातहत अदालत ने उक्त आदेश बहुत ही संक्षिप्त रूप से आनन–फानन में लिखा प्रतीत होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में रेस्पोडेन्ट अपीलांट को जबरदस्ती बेदखल कर देगे, जिससे अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी व असुविधा होगी। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर ताफैसला दावा अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सिवणा में स्थित गत खसरा नम्बर 527 व 534 के वर्तमान खसरा नम्बर 1318, 1323, 1324, 1325, 1326, 1348, 1349 कुल रकबा 12.07 हैक्टर में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया, साथ ही प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त आराजी का कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने एवं बेचाननामे के आधार पर म्युटेशन स्वीकृत कराने से रोकने हेतु पाबंद करने का अनुतोष चाहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।
2. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आज्ञापक प्रावधानों यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन प्रकरण का परीक्षण करने हेतु हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अ. <u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u> अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है, कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समय जो वाद पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है, उसमें वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी बताकर अपीलांट प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित बताते हुए 1/3 हिस्से की घोषणा करने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात के संबध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत किया, जो आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसका निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम होकर उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात विनिश्चय होने पर ही सम्भव होगा, पत्रावली पर उपलब्ध के जमाबन्दी के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी बदोबस्त संवत् 2009 से 2028 के दोरान अप्रार्थी संख्या 01 दादा भोप सिंह, अप्रार्थी संख्या 02 के पिता भव सिंह तथा प्रार्थीगण के पिता मंगल सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज थी। संवत 2053 से 2056 जमाबंदी चौसाला में प्रार्थीगण का नाम बिना सक्षम अधिकार के विलोपित किया जाना एवं केवल अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज होना अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। अतः स्पष्ट है कि वादपत्र में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होता है।

ब. सुविधा का संतुलनः— वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के हक अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है, प्रथम दृष्टया मामला के विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की पुश्तैनी आराजीयात है तथा उभयपक्षकारान पुश्तैनी रूप से उपयोग व उपभोग में है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो कि वादग्रस्त आराजीयात केवल अप्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में हो। अतः ऐसी स्थिति में अपने वांछित हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होता है।

स. अपूर्णनीय क्षतिः— अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात अपने पिता की पैतृक आराजी होने एवं प्रथम भू–प्रबंध से 1/3 हिस्से के खातेदार अभिधारी होने एवं संवत् 2053 से 2056 जमाबंदी चौसाला में प्रार्थीगण का नाम बिना सक्षम अधिकार के विलोपित किया जाना एवं केवल अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का नाम दर्ज कर देना के आधार पर खातेदार अधिकारो की घोषणा का अनुतोष चाहा है तथा वर्तमान भू अभिलेखीय प्रविष्टियों को प्रश्नगत किया गया है चूकि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में बखुबी साबित है अतः ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो यह पूर्ण संभावना है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्ता आराजीयात के भू–अभिलेख में अपने नाम की दर्ज प्रविष्टिया जो कि प्रश्नगत है, के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात का रहन, बेचान या अंतरण कर सकते है जिससे न केवल प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णय में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी बल्कि इससे अपीलांट प्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति होना संभव है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा यात्रिक रूप से आदेश पारित करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण का बिन्दुवार आवश्यक विवेचन किया है न ही अपने विनिश्चय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कारणो को अभिलिखित किया है। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज है तथा उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखुबी साबित होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2012 बअनवान खेत सिंह वगै. बनाम कैलाश कंवर वगै. में पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 को अपास्त किया जाता हैं। अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स को जरिये अस्थायी व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मौजा सिवणा तहसील जालोर में स्थित वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 1318, 1323, 1324, 1325, 1326, 1348, 1349 कुल रकबा 12.07 हैक्टर की वर्तमान भू–अभिलेखीय स्थिति में ताफैसला वाद कोई परिवर्तन नहीं करे तथा रहन, बेचान, अन्तरण या अन्य किसी भी विधि से भारित नहीं करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली